

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 685/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 685/2015

संस्थापित दिनांक 15/09/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. पंकज उर्फ मिर्ची शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा उम्र-21
साल निवासी बड़ा बाजार वार्ड क्र01 गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0
2. रवि पुत्र गोपाल सोनी उम्र 25 साल निवासी सदर
बाजार वार्ड क्र07 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा-457,380भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री आलोक उपाध्याय ।)
(आरोपी पंकज द्वारा अधिवक्ता-श्री हृदेश शुक्ला ।)
(आरोपी रवि द्वारा अधिवक्ता-श्री ए0के0राणा ।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 23/11/2016 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 13-14/07/14 की दरम्यानी रात्रि बड़ा बाजार गोहद में फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवासग्रह में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित करने तथा उसी समय फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसकी सोने की चैन दो सोने की अंगूठी एक चांदी की कशधोनी,चांदी के बिछिये,दो हजार रुपये नगद कुल कीमत 14000/-रुपये फरियादी लाल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा457,एवं 380 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13/07/14 की दरम्यानी रात्रि फरियादी लाल सिंह अपने परिवार सहित घर में सो रहाथा कमरे के बाहर उसकी बहू सो रही थी कमरे का ताला खुला हुआ था। कमरे के अंदर सूटकेस में सोने की झुमकी,दो सोने की अंगूठी,चांदी की कशधोनी

पायल, बिछिये, एवं नगद दो हजार रुपये रखे हुये थे। रात्रि में कोई सूटकेस का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी करके ले गया था। जब उसकी बहू को रूपयों की जरूरत हुई थी तो उसकी बहू ने सूटकेस खोलकर देखा था तो उसने पाया था कि सूटकेस का ताला टूटा हुआ था एवं नगदी व जेवर गायब थे। दो मोबाईल भी गायब थे कोई अज्ञात चोर चोरीकरके ले गया था। फरियादी लाल सिंह द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप0क0248/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या दिनांक 13-14/07/14 की दरम्यानी रात्रि बड़ा बाजार गोहद में फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसके आधिपत्य से उसकी सोने की चैन, सोने की अंगूठी, चांदी की करधोनी, बिछिये एवं दो हजार रुपये नगद की चोरी हुई ?
2. क्या उक्त चोरी आरोपी ओर केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई ?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी लाल सिंह आ0सा001, गीता आ0सा002, कृष्णा आ0सा003, लायकराम आ0सा004, सरनाम सिंह आ0सा005, ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा006, सुनील कुमार आ0सा007 प्र0आ0महेश धाकरे आ0सा008 ए0एस0आई तहसीलदार सिंह आ0सा009, आरक्षक रविन्द्र आ0सा010 एवं ए0एस0आई बलवंत सिंह आ0सा011 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी लाल सिंह आ0सा001 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वर्ष 2014 के अषाढ माह 14 तारीख की है। रात्रि के समय की घटना है घटना कितने बजे की है वह निश्चित नहीं बता सकता है उस समय गर्मी का मौसम था वह बाहर सो रहा था कमरे की कुंदी नहीं लगी थी। अंदर सूटकेस रखा हुआ था एक डिब्बे में जेवर, सोने की झुमकी, अंगूठी, एवं चांदी की पाजेव, करधोनी तथा 6 जोड़ी बिछिया, रखे हुये थे। दो मोबाईल एवं दो हजार रुपये भी अंदर से चोरी हो गये थे मोबाईल कूलर पर रखा हुआ था तथा शेष सामान सूटकेस में था। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरीकरके ले गया था मोबाईल का नम्बर उसे याद नहीं है। दो

मोबाईल में से एक मोबाईल उसका था एवं एक उसके लडके का था। एक मोबाईल सेमसंग कंपनी का था तथा एक मोबाईल मेक्स कंपनी का था। उसने घटना के संबंध में लेखीय आवेदन दिया था जो प्र०पी००१ है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र०पी००२ है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मोबाईल का बिल प्र०पी००३ तथा जप्ती पंचनामा प्र०पी००४ है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शिनाख्ती में प्र०पी००५ के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी गीता आ०सा००२ एवं कृष्णा आ०सा००३ ने भी अपने कथन में फरियादी लाल सिंह आ०सा००१ के कथन का समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को रात्रि के समय पाजेव, कश्मीनी, सोने की अंगूठी, झुमकी, बिछिया एवं दस हजार रुपये चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है।

09. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ ने प्र०पी००१० की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

10. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी लाल सिंह आ०सा००१ ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसके घर के अंदर से सोने, चांदी के जेवर, एवं मोबाईल तथा दो हजार रुपये चोरी होना बताया है। साक्षी गीता आ०सा००२ जो कि फरियादी लाल सिंह की पत्नी है एवं कृष्णा आ०सा००३ जो कि फरियादी लाल सिंह का पुत्र है ने अपने कथन में फरियादी लाल सिंह आ०सा००१ के कथन का समर्थन किया है एवं उनके घर से सोने चांदी के जेवर, मोबाईल एवं रुपये चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी लाल सिंह के घर से सोने, चांदी के जेवर, मोबाईल एवं रुपये चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में प्र०पी००१ का आवेदन थाने पर दिया गया है एवं उक्त आवेदन के आधार पर ही प्र०पी००१० की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ ने भी अपने कथन में फरियादी लाल सिंह कुशवाह द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्र०पी००१० की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। प्र०पी००१ के आवेदन एवं प्र०पी०१० की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी लाल सिंह के घर से सोने चांदी के जेवर एवं मोबाईल व रुपये चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी लाल सिंह आ०सा००१ का कथन प्र०पी००१ के आवेदन एवं प्र०पी०१० की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओरसे उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी लाल सिंह के घर से सोने चांदी के जेवर, मोबाईल एवं रुपयों की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

11. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या उक्त चोरी आरोपी ओर केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई है? उक्त संबंध में फरियादी लाल सिंह आ०सा००१ ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसके घर से सोने चांदी के जेवर, मोबाईल एवं दो हजार रुपये चोरी होना तो बताया है परन्तु यह भी व्यक्त किया है कि चोरी कौन व्यक्ति करके ले गया था वह नहीं बता सकता है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र००३ में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चोरी किसने की थी उसे जानकारी नहीं है।

12. साक्षी गीता आ0सा02 ने भी अपने कथन में उसके न्यायालीन कथन से लगभग पौने दो साल पहले रात्रि लगभग दो ढाई बजे चोरी होना बताया है एवं व्यक्त किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति पाजेव, करधोनी, गुच्छे, दो सोने की अंगूठी, झुमकी पैरो के बिछिया चांदी की तोड़िया और दसहजार रुपये सूटकेस से निकाल कर ले गया था। इसके तुरन्त पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि पंकज निकालकर ले गया था दो मोबाईल भी निकाल कर ले गया था उसके बाद उसे एक पाजेव व अंगूठी ही मिली थी। कृष्णा आ0सा03 ने अपने कथन में चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि चोरी किसने की थी।

13. ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा06 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 14/07/10 को फरियादी लाल सिंह द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्र0पी010 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी लाल सिंह के द्वारा पेश करने पर उसने मोबाईल की रसीद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी04 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी011 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पंकज शर्मा से पूछताछ कर उसने प्र0पी08 का मेमोरेंडम लेख किया था। आरोपी पंकज शर्मा से उसने प्र0पी09 के वर्णनानुसार सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी010 पर उसके हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14/07/17 अंकित हो गई है।

14. साक्षी लायकराम आ0सा04 ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी पंकज व रवि को जानता है उसके न्यायालीन कथन से दो साल पहले लाल सिंह के यहां चोरी हुई थी पुलिस आई थी और पंकज को थाने ले गई थी। पंकज उर्फ मिर्ची ने लाल सिंह के यहां से मोबाईल अंगूठी, झुमकी व दो हजार रुपये की चोरी की थी वह अंगूठाकर के चला आया था उसने जिस कागज पर अंगूठा किया था उस पर क्या लिखा था वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने पंकज उर्फ मिर्ची से पूछताछ की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने प्र0पी06 का मेमोरेंडम बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी पंकज द्वारा पेश करने पर लाल रंग का मोबाईल जप्त किया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि पंकज ने प्र0पी08 का मेमोरेंडम पुलिस को नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र06 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने क्या क्या सामान किस किस तारीख को कहां कहां से जप्त किया था उसे जानकारी नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी पंकज ने उसके सामने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी थी।

15. साक्षी सरनाम सिंह आ0सा05 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी पंकज शर्मा को जानता है। पुलिस ने उसके सामने पंकज को पकड़ा था और पंकज के घूरे में से अंगूठी निकाली थी जिस पर नेल पालिस लगी थी पुलिस पंकज को थाने ले गई थी। आरोपी के घर से पाजेव, करधोनी, झुमकी व मोबाईल बरामद हुये थे जप्ती पंचनामा प्र0पी09 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि प्र0पी09 की लिखा पढी पुलिस वालों ने थाने पर की थी।

16. ए0एस0आई बलवंत सिंह आ0सा011 ने भी ए0एस0आई राजपाल आ0सा06के कथन का समर्थन किया है एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी09 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ए0एस0आई तहसीलदार सिंह आ0सा09 ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता ए0एस0आई राजपाल आ0सा06के कथन का समर्थन किया है तथा मेमोरेंडम प्र0पी06 के बी से बी भाग पर, जप्ती पंचनामा प्र0पी07 के एसेए भाग पर एवं मेमोरेंडम प्र0पी08के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

17. प्र0आ0महेश धाकरे आ0सा08 ने अपने कथनमें व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 07/07/15 को आरोपी रवि सोनी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी012 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी रवि सोनी से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी013 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तलाशी पंचनामा प्र0पी014 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18. आरक्षक रविन्द्र आ0सा010 ने अपने कथन में व्यक्त किया हैकि दिनांक 07/07/15 को महेश धाकरे ने सदर बाजार से आरोपी रवि को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी012 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी रवि से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी013 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

19. सुनील कुमार आ0सा07 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह फरियादी लाल सिंह कुशवाह को नहीं जानता है उसके समोन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। प्र0पी05 के बी से बी भागपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया हैकि उसने शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी।

20. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी लाल सिंह आ0सा01 द्वारा चोरी के संबंध में प्र0पी01 का आवेदन अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिया गया है तथा प्र0पी010 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लेखबद्ध की गई हैं। फरियादी लाल सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटनादिनांक को उसके घर से चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि उक्त चोरी किसने की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसे जानकारी नहीं है कि चोरी किसने की थी। साक्षी कृष्णा आ0सा03 ने भी अपने कथन में चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि उक्त चोरी किसने की थी। जहां तक गीता आ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो गीता आ0सा02 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि पंकज उसके जेवर व मोबाईल ले गया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा था उसने तो बाद में सुना था वह आरोपी का नाम सुनने के आधार पर ही बता रही हैं। इस प्रकार गीता आ0सा02 के

कथनों से यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी पंकज को चोरी करते हुये नहीं देखा था।

22. प्रकरण में फरियादी द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है एवं फरियादी लाल सिंह आ0सा01 तथा कृष्णा आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है गीता आ0सा02 के भी कथनों से यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी को चोरी करते हुये नहीं देखा था। यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की जाती है वहां जप्ती, मेमोरेंडम एवं गिरफ्तारी के साक्षियों की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रकरण में लायकराम आ0सा04 जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार मेमोरेंडम प्र0पी06 एवं प्र0पी08 तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी07 का साक्षी है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि लालसिंह के यहां चोरी हुई थी पुलिस पंकज को थाने लेकर गई थी। पंकज ने लाल सिंह के यहां से मोबाईल अंगूठी, झुमकी व दो हजाररुपये की चोरी की थी उसने कागज पर अंगूठा किया था जिस कागज पर अंगूठा किया था उसमें क्या लिखा है वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को प्र0पी06 का मेमोरेंडम दिया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने पंकज के कमरे से मोबाईल जप्त किया था परन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि प्र0पी07 का जप्ती पंचनामा पुलिस ने उसके सामने बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी पंकज ने उसके सामने प्र0पी08 का मेमोरेंडम पुलिस को नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पुलिस ने किस किस तारीख को कहां कहां से क्या क्या सामान जप्त किया था वह पंकज का नाम इसलिये बता रहा है क्योंकि उसने सुना है।

23. इस प्रकार लायकराम आ0सा04 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी06 का मेमोरेंडम बनाया था तथा आरोपी से मोबाईल जप्त किया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी एवं उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पुलिस ने क्या क्या सामान कहां कहां से जप्त किया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है उसके द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

24. साक्षी सरनाम सिंह आ0सा05 जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती पंचनामा प्र0पी09 का साक्षी है ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसके सामने पुलिस ने पंकज को पकड़ा था और पंकज के घूरे में से अंगूठी निकाली थी। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी09 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी09 की लिखा पढी पुलिस वालों ने थाने पर की थी एवं उक्त लिखा पढी घटना के 15 दिन बाद की थी। लिखा पढी थाने पर दिन के 10:00 बजे हुई थी इसके अलावा उसके सामने कहीं पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार साक्षी सरनाम सिंह आ0सा05 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने पंकज के घूरे से अंगूठी

निकाली थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि प्र०पी०९ के जप्ती पंचनाम की लिखा पढी दिन के 10:00 बजे थाने पर हुई थी एवं इसके अलावा उसके सामने कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। सरनाम सिंह आ०सा०५ ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ की लिखा पढी थाने पर दिन के 10:00 बजे होना बताया है जबकि प्र०पी०९ के जप्ती पंचनाम में घटना दिनांक 13/09/14 समय 15:00 बजे लेख है इसके अतिरिक्त सरनाम सिंह आ०सा०५ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि प्र०पी०९ की लिखा पढी घटना के 15 दिन बाद थाने पर हुई थी जबकि प्र०पी०९ के जप्ती पंचनाम में दिनांक 13/09/15 अंकित है एवं घटना दिनांक 13-14/07/14 की हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ में दिनांक में ओवरराइटिंग है। साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ की लिखा पढी घटना के 15 दिन बाद थाने पर होना बताया है। जबकि प्र०पी०९ के जप्ती पंचनाम में दिनांक 13/09/14 अंकित है। इस प्रकार साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ के कथन प्र०पी०९ के जप्ती पंचनाम से पुष्ट नहीं रहे हैं। साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभासी रहे हैं ऐसी स्थिति में सरनाम सिंह आ०सा०५ के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं।

25. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ जो कि जप्तीकर्ता हैं एवं विवेचक भी हैं ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०११ बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी पंकज शर्मा से पूछताछ कर प्र०पी०८ का मेमोरेण्डम बनाया था एवं आरोपी पंकज शर्मा से प्र०पी०९ के वर्णनानुसार सोने की अंगूठी एवं पाजेव जप्त की थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी पंकज को दिनांक 10/09/14 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 10/9/14 को ही उससे पूछताछ कर प्र०पी०६ का मेमोरेण्डम बनाया गया था एवं आरोपी के बताये अनुसार आरोपी से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ बनाया गया था। तत्पश्चात दिनांक 11/09/14 को आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी०८ का मेमोरेण्डम बनाया गया था तथा उक्त मेमोरेण्डम के अनुसार आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी व पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ बनाया गया था।

26. इस प्रकार अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी पंकज से दो बार चोरी के संबंध में पूछताछ कर प्र०पी०६ एवं प्र०पी०८ का मेमोरेण्डम बनाया गया था एवं उक्त मेमोरेण्डम के अग्रशरण में आरोपी से चोरी का सामान जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ एवं 8 बनाये गये थे। जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने अपने कथनों के दौरान आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी०८ का मेमोरेण्डम तैयार करना एवं आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी व पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ तैयार करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से दिनांक 10/09/14 को भी पूछताछ की थी एवं प्र०पी०६ का मेमोरेण्डम बनाया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ बनाया था। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ जो कि स्वयं जप्तीकर्ता हैं ने अपने कथनों के दौरान प्र०पी०६ के मेमोरेण्डम एवं प्र०पी०७ के जप्ती पंचनाम के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। उक्त साक्षी उक्त संबंध में मौन रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा भी उक्त साक्षी का उक्त बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है न ही उक्त बिन्दु पर साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त किया था एवं अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दु पर साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है प्रकरण में आई साक्ष्य से यहीं दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा स्वयं

इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। चूंकि जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी००६ का मेमोरेडम बनाया था एवं पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी००७ बनाया था तथा अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दु परसाक्षी का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मेमोरेडम प्र०पी००६ एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी००७ को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी पंकज से प्र०पी००७ के अनुसार मोबाईल जप्त हुआ था।

27. जहां तक ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा००९ के कथन का प्रश्न है तो तहसीलदार सिंह आ०सा००९ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके सामने ए०एस०आई राजपाल सिंह ने आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी००६ का मेमोरेडम बनाया था तथा आरोपी के बताये अनुसार उसके सामने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी००७ बनाया गया था परन्तु यह बात स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ द्वारा नहीं बताई गई है। तहसीलदार सिंह आ०सा००९ ने अपने कथन में ए०एस०आई राजपाल सिंह द्वारा प्र०पी००६ का मेमोरेडम एवं प्र०पी००७ का जप्ती पंचनामा तैयार करना बताया है परन्तु यह बात स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ एवं तहसीलदार सिंह आ०सा००९ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहें हैं। चूंकि स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने प्र०पी००६ का मेमोरेडम बनाया था एवं प्र०पी००७ की जप्ती की थी। ऐसी स्थिति में ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा००९ का कथन उक्त बिन्दु पर विश्वास योग्य नहीं है एवं तहसीलदार सिंह आ०सा००९ के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि ए०एस०आई राजपाल सिंह ने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी००७ बनाया था।

28. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी००८ का मेमोरेडम बनाया था तथा आरोपी के बताये अनुसार आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी००९ बनाया था। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने प्र०पी००८ का मेमोरेडम कब और कितने समय एवं कहां पर बनाया था तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने आरोपी पंकज के बताये अनुसार किस स्थान से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त की थी। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ द्वारा जप्ती पंचनामा प्र०पी००९ की विशिष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

29. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ ने अपने कथन में आरोपी पंकज से अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त करना बताया है। ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा००११ ने भी आरोपी पंकज से उसके सामने सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त करना बताया है। ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा००११ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि सरनाम सिंह उसे जप्ती स्थल पर मिला था तथा जहां जप्ती हुई थी वह खुली जगह थी जबकि साक्षी सरनाम सिंह आ०सा००५ का कहना है कि प्र०पी००९ की लिखा पढी थाने पर हुई थी। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा००६ ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उसने आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं पाजेव कहां जप्त की थी तथा प्र०पी००९ किस स्थान पर तैयार किया था। ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा००११ द्वारा व्यक्त किया गया है कि सरनाम सिंह उसे जप्ती स्थल पर मिला था तथा सरनाम सिंह आ०सा००५ का कहना है कि प्र०पी००९ की लिखा पढी थाने

पर हुई थी इसके अलावा उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए 0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा06 एवं ए0एस0आई बलवंत सिंह आ0सा011 के कथन सरनाम सिंह आ0सा05 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

30. अब यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव अभियोजन कहानी के अनुसार जप्त हुई थी तो प्रश्न यह उठता है कि क्या उक्त जप्तशुदा सामग्री फरियादी की थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी लाल सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में शिनाख्ती मेमों पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है परन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने नगर पालिका भवन में शिनाख्ती की कार्यवाही हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। सुनील कुमार आ0सा07 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह लाल सिंह को नहीं जानता है उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने भी शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी05 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी तथा प्र0पी05 का शिनाख्ती पंचनामा बनवाया था।

31. इस प्रकार फरियादी लाल सिंह आ0सा01 ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने शिनाख्ती कार्यवाही हुई थी। सुनील कुमार आ0सा07 ने भी प्र0पी05 की शिनाख्ती कार्यवाही से इंकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्तशुदा अंगूठी एवं पाजेव फरियादी की थी। प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं हैं। यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

32. जहां तक आरोपी रवि का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी रवि से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। प्र0आर0महेश धाकरे आ0सा08 ने आरोपी रवि से पूछताछ कर प्र0पी013 का मेमोरेंडम तैयार करना बताया है परन्तु उक्त मेमोरेंडम के अनुशरण में आरोपी रवि से कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी013 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है। प्र0आर0महेश धाकरे आ0सा08 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी रवि ने चोरी के दो हजार रुपये खर्च कर देना बताया था परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आरोपी रवि द्वारा दो हजार रुपये कहां और कब खर्च किये गये। उक्त संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। आरोपी रवि से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। आरोपी रवि के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है ऐसी स्थिति में आरोपी रवि को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

33. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है जप्ती एवं मेमोरेंडम के साक्षी लायकराम आ0सा04, सरनाम सिंह आ0सा05 ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा06, ए0एस0आई तहसीलदार सिंह आ0सा09 एवं ए0एस0आई बलवंत सिंह आ0सा011 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं प्रकरण में जप्ती एवं शिनाख्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

34. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन

को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

35. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 13-14/07/14 की दरम्यानी रात्रि बड़ा बाजार गोहद में फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवासग्रह में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसकी सोने की चैन दो सोने की अंगूठी एक चांदी की करधोनी, चांदी के बिछिये, दो हजार रुपये नगद कुल कीमत 14000/-रुपये फरियादी लाल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रवि एवं पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची शर्मा को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भादस की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

36. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

37. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल एवं सोने चांदी के जेवर पूर्व से सुर्पुदगी पर है। अतः उनके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे।। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशो का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23-11-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)